

संख्या ६८५४७०३२१३ तिथि २२ मई २०१३

दोषपत्र

राजकीय समस्त लोकों

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

शोध म.

१. रामरत्न मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश।

२. रामरत्न प्रिकाशिकारी
उत्तर प्रदेश।

३. रामरत्न मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अवगमन-५


लखनऊ: दिनांक २८/५/२०१३

निषेद्य— ऐतराजल की समस्या के व्यरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति विकास खण्ड 50-50 इंडिया फार्क-11 हैण्डपम्प की रिवोरिंग के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के सञ्चालन में यह सत्य लाया गया है कि हैण्डपम्पों को रिवोर किए जाने में उत्तर प्रदेशी पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सन्दर्भ में युझे यह कहने को निषेद्य हुआ है। उपराजल शासनादेश दिनांक २३ मई २०१३ में अल्लाहाबाद प्रति विकास खण्ड हैण्डपम्पों को रिवोर करने के सम्बन्ध में भा० राजद लखनऊ / भा० विधान सभा / विधान परिषद् राजस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के रिवोरिंग सम्बन्धी प्रस्तावों पर प्रार्थगिकता के आधार पर प्रशीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,



(राजकीय कुमार ओझा)
सचिव

संख्या १६२१ (१)/अद्वीतीय-५-२०१३, तददिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित वृ० राजनीति एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. प्रमुख सचिव, भा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
२. निजी सचिव, भा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
३. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
४. अधिकारीसी निदेशक, संजय प्रेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लखनऊ।
५. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
६. निदेशक, पर्यायमी राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
७. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
८. प्रबन्ध निदेशक, भ०-३०० इंटर एवं इंप्रोट्रॉयल लार्सोन विं लखनऊ।
९. निवेशक, एनजीआईएसी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रबन्ध इ-मीट के माध्यम से राजस्व जिला विकासियों को शीघ्र विज्ञाने का करे।
१०. सम्बन्धित सभीकारी / मार्ड फाईल।

ओझा सं.


(संघ विभाग-प्राइवेट)
अनु सचिव।